महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,
ओडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर

Admn-11/G-4/LettersfromHeadquarter/F-12 दिनांक:18-02-2026

प्रति,

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), म.प्र. ग्वालियर।
2. उप महालेखाकार/ए.एम.जी. 1,2,3,4 एवं 51
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12,13,14, विधि कक्ष, गोपनीय कक्ष, फास (एम), सामान्य अनुभाग, कार्यपालन राख, कल्याण शाखा, हिंदी कक्ष, रिपोर्ट, रिपोर्ट-पी.ए.सी., आई.टी.ए., ऑडिट इम्पैक्ट सेल, ए.पी.डी.ए.सी., नीतिगत प्रबंधन इकाई ।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / आई.एस. विंग को यथाशीघ्र कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. स.ले.प.अ. (डी.एजी. सेल)/ए. एम. जी. 1,2,3,4,5
6. श्री उत्कर्ष यादव स.ले.प.अ. को इन्टरनेट एवं इंट्रानेट सम्बंधित कार्य हेतु ।
7. सूचना पटल ।

विषयः Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 2025 - regarding.

महोदय/महोदया

उक्त विषयान्तर्गत पत्र के संदर्भ में लेख है कि केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 में संशोधन करते हुए वर्ष 2025 से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। उक्त संशोधन की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:ययोक्त।

भवदीय,

हस्ता-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासना-11

Fwd: [Cag-all-offices] Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 2025 - regarding.

PAG Audit I Pradesh < agaumadhyapradesh1@cag.gov.in >

Fri, 13 Feb 2026 11:43:05 AM +0530

To "Yashwant Kumar"<yashwantk@cag.gov.in>,"Secretariat DAG Admin"<sectdagadmin.mp1.au@cag.gov.in>

Cc "ANSHUMAN AGNIHOTRI"<iaadnihotria.mp1.sca@cag.gov.in>,"Vikas Sr. Auditor"<vikasc.mp1.au@cag.gov.in>

============ Forwarded message ============
From: MANOJ KUMAR <saoaudit-r@cag.gov.in>
To: "CAG-ALL-OFFICES"<cag-all-offices@lsmgr.nic.in>
Cc: "PS PD COMM"<pspdcomm@cag.gov.in>, "Deepna Gokulram"<gokulramd.cag@nic.in>, "Nirmal Singh"<saodisc3.cag@cag.gov.in>, "Harish Lal Verma"<saodisc2.cag@cag.gov.in>, "ASHWANI KUMAR RAINA"<sao1disc@cag.gov.in>, "DG STAFF"<dgstaff@cag.gov.in>
Date: Fri, 13 Feb 2026 10:46:03 +0530
Subject: [Cag-all-offices] Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 2025 - regarding.
============ Forwarded message ============

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110 124

सँख्याः-32 -स्टाफ हकदारी (नियम)/ए.आर/ 04-2026
दिनांकः- 13.02.2026

प्रति

1. भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय ।
2. निदेशक (कार्मिक)

विषय: Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 2025 - regarding.

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के अधिसूचना No. G.S.R. 21 (E) दिनांक 12.01.2026 को इस ई-मेल के साथ संलग्न किया गया है ।

क्षेत्रीय कार्यालय कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को आवश्यक कार्रवाई हेतु इस ई-मेल के संलग्नक से डाउनलोड कर लें । इसे संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

Notification No. G.S.R. 21 (E) dated 12.01.2026 issued by Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, New Delhi on the subject cited above is attached with this E-mail.

The field offices may download the attached Notification with the E-mail for further necessary action. It can also be downloaded from the website of the concerned Department/ Ministry.

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय
हस्ता/-
(मनोज कुमार)
वरि. प्रशासनिक अधिकारी/ स्टाफ-हक. (नियम)

CAG-ALL-OFFICES mailing list -- cag-all-offices@lsmgr.nic.in
To unsubscribe send an email to cag-all-offices-leave@lsmgr.nic.in

---

1 Attachment(s)

Notification_GSR_21(E).pdf
882.2 KB

180 19

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012026-269330
CG-DL-E-14012026-269330

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2026/पौष 22, 1947
No. 21] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2026/PAUSHA 22, 1947

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 21(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः- (1) ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 2025 कहलाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965(इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में संदर्भित), में नियम 10 में, उप-नियम (1) में परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"बशर्ते कि ऐसे मामले, जहां निलंबन का आदेश भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा के किसी सदस्य के संबंध में या किसी सहायक महालेखाकार या सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' या समतुल्य (भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा के नियमित सदस्य के अलावा) के सदस्यया भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में केंद्रीय सिविल पद के समूह 'क' को धारित करने वाले किसी व्यक्ति के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा किया गया हो, को

File No. Admn-11/G-4/LettersfromHeadquarter/F-12 (Computer No. 5556)
Generated from eOffice by Gaurav Kumar Meena, Ar (ADMIN-11) GKM, AUDITOR, AG-(AUDIT-I)-MADHYA PRADESH on 17/02/2026 12:07 pm

छोड़कर जहां निलंबन आदेश, नियुक्ति प्राधिकारी से निम्न किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी को तत्काल उन परिस्थितियों की रिपोर्ट देगा जिनमें यह आदेश किया गया था ";

3. उक्त नियमों में, नियम 12 में, उप-नियम(4) में खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

" (क) सिवाय इसके कि जहां नियम 11 के खंड (v) अथवा खंड (vi) में निर्दिष्ट शास्ति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा, किसी सहायक महालेखाकार के किसी सदस्य या सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' (भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा के नियमित सदस्य के अलावा) के किसी सदस्य या भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में केंद्रीय सिविल पद समूह 'क' धारण, करने वाले किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है, तो उस नियम के खंड (v) से (ix) में निर्दिष्ट कोई शास्ति, नियुक्ति प्राधिकारी से अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी द्वारा नहीं लगाया जाएगा।"

[फा. सं. 11012/3/2021-कार्मिक नीति(क-III)]

मनोज कुमार द्विवेदी, अपर सचिव

टिप्पणी: मुख्य नियम,अधिसूचना संख्या का. आ. 3703 दिनांक 20 नवंबर, 1965 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और इसे 20 जून 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 337(अ) दिनांक 29 मई, 2024 के माध्यम से अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2026

G.S.R. 21(E).—exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution,the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called, the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965(hereinafter referred to as the said rules), in rule 10, in sub-rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that, except in the case of an order of suspension made by the Comptroller and Auditor General in regard to a member of the Indian Audit and Accounts Service and in regard to an Assistant Accountant General or a member of General Central Service Group 'A' or equivalent (other than a regular member of the Indian Audit and Accounts Service) or a person holding a Central Civil Post Group 'A' in the Indian Audit and Accounts Department, where the order of suspension is made by an authority lower than the appointing authority, such authority shall forthwith report to the appointing authority the circumstances in which the order was made.";

3. In the said rules, in rule 12, insub-rule (4) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: -

"(a) except where the penalty specified in clause (v) or clause (vi) of rule 11 is imposed by the Comptroller and Auditor General on a member of the Indian Audit and Accounts Service, an Assistant Accountant General or a member of General Central Service Group 'A' (other than a regular member of the Indian Audit and Accounts Service) or a person holding a Central Civil Post Group 'A' in the Indian Audit and Accounts Department, no penalty specified in clause (v) to (ix) of that rule shall be imposed by any authority subordinate to the appointing authority.

[F. No. 11012/3/2021 –Pers. Policy(A-III)]

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Add. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number S.O. 3703, dated the 20th November, 1965 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 337(E) dated the 29May, 2024, published in the Gazette of India on the 20thJune, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA